

(1)

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, GHAZIABAD (U.P.) - 201001

REGISTERED

Letter No. 01391/487 11A 0460/000674/GMP-CC/90 Allotment cum Possession Letter

Dated: 28th February, 1990

To :
Mr/Ms SANJEEV KOHLI
C/O KH-6
KAVI NAGAR

GHAZIABAD

Allotment letter

Sub : Allotment and possession of house.
Ref : Your application no 000674

Dear Allottee,

I have been directed to inform you that you have been allotted house no. D-465 in the draw held on 12/07/1988 as per details given below:

- | | | |
|----------------------|--|--------------------|
| 1. Allottee code | : 487 11A 0460 | |
| 2. Scheme name | : SHASTRI NAGAR (R/P) 478 HIG (S/S) HOUSING SCHEME | Scheme code : 487 |
| 3. Property category | : HIG (Single Storey) | Property code: 11A |
| 4. Property Number | : D-465 | |
| 5. Paymentplan | : Hire Purchase | Payplan Code : 3 |
| 6. Final Cost | : Rs. 190608.00 | |
| 7. Bank Name | : ORIENTAL BANK OF COMMERCE, RAZAPUR BRANCH, SHASTRI NAGAR, GHAZIABAD. | Bank Code : 02 |
| 8. Payment Schedule | : | |

S.NO.	Description	Amount Due (Rs)	Due Date
1.	Registration Amount & Reservation Amount & Instalment	40,000.00	Already Paid *
2.	L.S.Amount Payable before possession	15608.00	28/03/90
3.	Lease rent (For 90 Years)	2092.00	28/03/90
4.	Rs.96380/- is payable in 60 quarterly instalments with 14.5% interest. The amount of each such equated instalment will be Rs.3962/-(including interest) & the first instalment will be due on 28/06/90.		
5.	Rs.38620/- is payable in 60 quarterly instalments with 15% interest. The amount of each such equated instalment will be Rs.1588/-(including interest) & the first instalment will be due on 28/06/90.		

*In case reservation/Instalments amount has not been paid by you so far, please pay it before possession along with upto date interest.

You are advised to pay as per details given in the above payment schedule, else action shall be taken as mentioned in clause 6 of enclosed terms & conditions.

You can obtain possession of house on any date after 28/03/90 but before 15/04/90 after paying the upto date amount due with interest (if any) and performing necessary formalities as mentioned in the enclosed terms of allotment. The allocation is subjected to the enclosed terms and conditions. Please go through these terms carefully and comply.

In all future correspondence Allottee's code & Application No should invariably be quoted.

Enclosed - General terms & conditions of allotment.
- Affidavit performa.

Your sincerely

[Signature]
(R. A Gupta)
Joint Secretary
G.D.A. Ghaziabad

5550



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

796803

दिनांक 10/5/95

वाम लाल देव

ए. ३०० यादव
वि. वि. / प्रमारी र.
गजियाबाद विकास प्रतिष्ठान
गजियाबाद

PREPARED BY MB
Sanjeev Nagreth

CHECKED BY MB
E.C.

1548 क्रम संख्या - 091

कला अथवा प्रार्थी द्वारा रक्खा जाने वाला

नम्र प्रस्तुत करने का दिनांक

प्रार्थी का नाम

राशि

शुल्क

ए. शुल्क

तलाश के लिए शुल्क

अधिष्ठापक के लिए शुल्क

प्रतिनिधि या तलाश प्रमाण पत्र

करने के लिए तैयार होगा

गजियाबाद

करण अधिकारी के हस्ताक्षर

14-3-2

कमला देवी श्री धमवीर सिंह

1993/

गाजियाबाद

गुलाब चन्द जैन

31-3-07

विक्रय पत्र

20,920.00/ 195,000.00

3,920.00

20

3,940.00

1,000

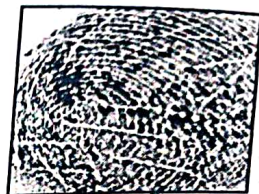
फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

पतिफल मालियत
श्री/श्रीमती कमला देवी
पुत्र/पत्नी श्री धमवीर सिंह
पेशा गृहिणी

निवासी स्थायी एस डी 465 शास्त्री नगर गा बाद
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 15/3/2007 समय 11:35AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

कमला देवी



कै. के. यादव

उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद

15/3/2007

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती संजीव नागरथ
प्रतिनिधि श्री एस के यादव एफ सी
पुत्र/पत्नी श्री
पेशा नौकरी

S. K. Yadav



क्रेता

श्री/श्रीमती कमला देवी
पुत्र/पत्नी श्री धमवीर सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी एस डी 465 शास्त्री नगर गा बाद

कमला देवी



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री सुनील त्यागी
पुत्र श्री रामनाथ त्यागी
पेशा अन्य

निवासी आर 4/102 राजनगर गा बाद

व श्री एस एम अली

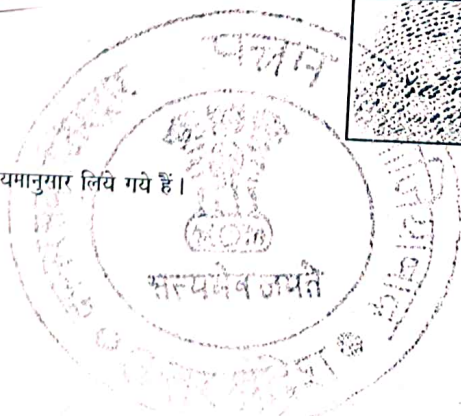
पुत्र श्री शब्बीर अली

पेशा अन्य

निवासी 51/1 लाल कवाटर गा बाद

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र याक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



कै. के. यादव
उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद
15/3/2007



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

५

१४
कम ला दे

एसो केडो
वित्त निपन्त्रक/प्रवासी रजिस्ट्री
विकास प्राधिकरण

क्रम संख्या.....०८.....राम्य विजय की तिथि.....14-3)

राम्य आयु होने पर...

अमरा देवी लक्ष्मी की...

58221

संजीव नागरथ प्रतिनिधि एस के यादव एफ सी
संजीव नागरथ की 14-3-3-)
जी.डी.ए. पारस, गीतगयाद

Registration No 1548

विक्रेता

Year : 2007

Book No.

0101 संजीव नागरथ प्रतिनिधि एस के यादव एफ सी
जी डी ए
नौकरी
S. K. Nagrath



Rn
1535





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शासनादेश

796768

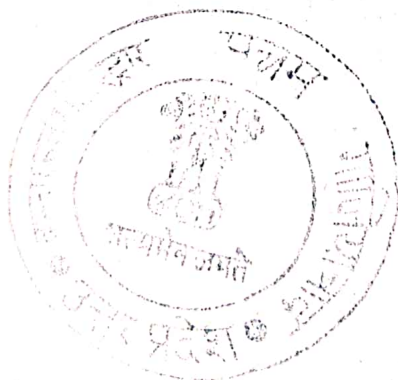
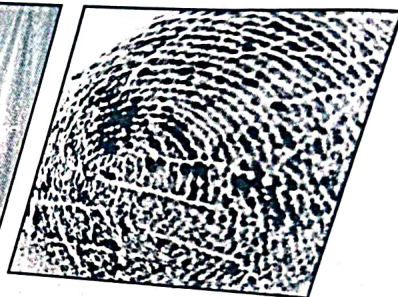
कम ता. देवर

एस० के० रादव
वित्त नियन्त्रक/प्रभासी रजिस्ट्री
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

क्रेता

Book No.

एस डी 465 शास्त्री नगर गा बाद
गृहिणी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

से

A 791705



कमल देवी



एस. यादव
वित्त नियन्त्रक/प्रवक्ता रजिस्ट्री
गोजियाबाद विकास प्राधिकरण
गोजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु. 1000

Rs. 1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पूर्व

A 791706

कामला देवी

एस० को० यादव
नित नियन्त्रक/प्रवारी रजिस्ट्री
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs. 1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

साव/नृत

A 791707

कमला देवी

San

एस० कै० यादव
वित्त नियन्त्रक/प्रवारी रजिस्ट्री
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

भारत



सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

भरनी

A 791708

कम जा दे

h

500RS.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

RS 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

14 MAR 2017

मुख्य कोषाधिकारी

का

काम का दस्तावेज



एस० के० यादव
वित्त नियन्त्रक/प्रगारी रजिस्ट्री
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

कमला देवी



दिनांक 10/5/95 के शासनादेश से पूर्व आवंटित भवनों का प्रारूप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

विक्रय विलेख

यह विलेख गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास मार्ग हापुड रोड, गाजियाबाद, जो कि राष्ट्रपति अधिनियम संख्या - 11, सन् 1973 पुनर्विधायन, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1974 की धारा-4 के अधीन गठित एक निकाय है, के प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जिसे इस विलेख में आगे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है (जिसका अर्थ अब तक उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो विक्रेता उसके प्रशासको/अधिशसको, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशिकों से लिया जायेगा।)

प्रथम पक्ष

तथा

श्री/श्रीमती/कुल कमला देवी उम्र लगभग
वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री धर्मवीर सिंह
निवासी सं. 30-5-65 शास्त्री नगर गाजियाबाद
(जिसे कि इस विलेख में विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक कि उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो क्रेता स्वयं उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशिकों से लिया जायेगा) द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित किया गया।

चूंकि विक्रेता ने जनहित में भूमि अध्यापित करके उसे विकसित करने के उपरान्त उस पर भवनों का निर्माण किया है तथा क्रेता के आवेदन पत्र दिनांक के फलस्वरूप नकद/ एवं स्ववित्त पोषित/ किराया क्रय-पद्धति के अन्तर्गत दिनांक 28-2-90 को 90 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किया। यह कि विलेख हेतु भवन का निर्माण अंकन रु० 1,269,688-00 (शब्दों में एक लाख उनहत्तर हजार छह सौ अठ्ठासी मात्र) निर्धारित

कमला देवी

एस० के० यादव
वित्त नियन्त्रक/प्रभारी रजिस्ट्री
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

किया गया है तथा भवन में अतर्पस्त भूमि जिसका क्षेत्रफल लगभग 139-45...
वर्ग मीटर इस विलेख के साथ संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। प्रीमियम मूल्य
अंकन रु० 20920-00 (शब्दों में बीस हजार नौ सौ बीस मात्र
रु० 2092-00 (शब्दों में दो हजार बीस मात्र
(...)) लीज किराया निर्धारित किया गया है तथा क्रेता द्वारा
भवन का निर्माण मूल्य व उससे अतर्पस्त भूमि का प्रीमियम मूल्य का 10 प्रतिशत
लीज किराया उपरोक्तानुसार प्राधिकरण कोष में जमा करा दिया गया है जिसकी
पावती विक्रेता एतद् द्वारा स्वीकार करता है।

चूँकि शासनादेश संख्या 1639/9 आ-1-95-80 मिस/86 आवास अनुभाग-1
दिनांक 10-05-95 द्वारा भूमि के मूल्य की 2 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि फ्री होल्ड
शुल्क के रूप में लेकर उसे फ्रीहोल्ड हस्तान्तरित करने हेतु प्राविधान किया गया है,
और तदनुसार क्रेता के द्वारा फ्रीहोल्ड शुल्क की धनराशि उपरोक्तानुसार अंकन
रु० 419-00 (शब्दों में चार सौ बीस मात्र
(...)) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जमा
कर दी गई है जिसकी पावती विक्रेता द्वारा इस विलेख के माध्यम से स्वीकार
करता है।

अतः यह विलेख निम्न प्रकार से सन्दर्भित करता है -

1. यह कि क्रेता से उपरोक्तानुसार भवन व भूमि का समस्त मूल्य प्राप्त करने
के पश्चात विक्रेता द्वारा भूखण्ड/भवन सं० SD/465 जिसका
क्षेत्रफल 139-45 वर्गमीटर है तथा स्थित शास्त्री नगर
योजना। जिसका विस्तृत विवरण अन्त में दिया गया है फ्री होल्ड के रूप में
क्रेता के पक्ष में स्वामित्वाधिकार इस विलेख के माध्यम से क्रेता में सन्निहित कर
दिये गये हैं कि वह नियमानुसार भूमि का उपयोग एवं उपभोग करें।
2. यह कि विक्रित भवन/भूखण्ड का कब्जा इस विलेख के माध्यम से क्रेता को
सौंप दिया गया है।
3. यह कि भूमि सम्बन्धी अधिकार भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते
हैं एवं भूखण्ड आबंटित करने के समय भूमि का मूल्य विक्रेता ने विशेष भूमि अध्याप्ति
अधिकारी के द्वारा दिये गये अभिनिर्णय (अवार्ड) के आधार पर ही निर्धारित किया
किया है। परन्तु यदि भविष्य में न्यायालय द्वारा किसान को देय प्रतिकर तोषण
(सोलेशियम) एवं इस मद में ब्याज की वृद्धि के आदेश किये जायें तो क्रेता इस
हेतु सहमत होता है एवं प्रसविदा करता है कि उपरोक्त प्रकार के किसी आकस्मिक
कारण से हुई वृद्धि की जिम्मेदारी क्रेता द्वारा धारित भूखण्ड क्षेत्रफल भू विन्यास
योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के अनुपात में क्रेता पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी
एवं क्रेता तदनुसार हुई वृद्धि पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार
दिये गये मांगपत्र की सूचना प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर क्रेता द्वारा अदायगी
कर दर जायेगी इसमें असफल रहने पर यह राशि भूराजस्व के बकाया के रूप में
वसूल की जायेगी।

कमल देव

4. यह कि क्रेता उक्त परिवार व उस पर निर्मित स्थल के पूर्ण या किसी भू-भाग या हिस्से को व्यक्तिगत निवास गृह के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से धार्मिक स्थल एवं किसी ऐसे उपयोग में नहीं लायेगा जिससे किसी प्रकार की कोई अशान्ति उत्पन्न होती हो अथवा पास पड़ोस में भवन धारकों को बाधा या क्षति पहुंचती हो। क्रेता गाजियाबाद महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग से अन्यथा प्रयोग नहीं करेगा और न करने की अनुमति देगा इसका उल्लंघन करने पर विधि अनुसार लगाये गये दण्ड का क्रेता भागी होगा।
5. यह कि क्रेता के द्वारा भूखण्ड व भवन दोनों सम्बन्धित अधिकारों का अन्तरण किये जाने की दशा में इस विलेख में अंकित समस्त नियम व उपनियम सदैव प्रथम अन्तरिति द्वितीय अन्तरिति एवं लगातार प्रत्येक अन्तरिति पर यथावत लागू रहेंगे तथा क्रेता द्वारा किये गये प्रसविदा को सभी मानने के लिए बाध्य होंगे।
6. यह कि किसी समय उक्त भवन/भूखण्ड सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की सहमति से विवाद हेतु एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकेगी जो कि विवाद सन्दर्भित होने के पश्चात् दोनों पक्षकारों की सुनवाई करके अपना निर्णय देगा।
7. यह कि इस विक्रय विलेख का मूल्यांकन भवन के मूल्य, भूमि का प्रीमियम मूल्य व 90 वर्ष अवधि हेतु लीज किराया एवं फ्रीहोल्ड शुल्क आदि को उपरोक्तानुसार सम्मिलित करके किया गया है जिस पर स्टाप शुल्क नियमानुसार अंकन रु0....19,500.... (शब्दों में एक लाख नौ सौ पचास मात्र क्रेता द्वारा जमा किया गया है।
8. यह कि क्रेता समय-समय पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं शासनादेश द्वारा जारी किये गये नियमों विनियमों एवं प्राविधानों का पालन करता रहेगा।

प्रमाण के रूप में इस विक्रय विलेख पर विक्रेता के लिए एवं उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी, तथा क्रेता ने स्वयं अपने स्वस्थ चित्त होकर इस विक्रय विलेख पर अपने हस्ताक्षर तथा विक्रेता की सील भी साक्षियों की उपस्थिति में लगायी गयी।

ऊपर सन्दर्भित विक्रीत भवन का विवरण :-

भू-विन्यासगत योजना में दी गयी भवन सं० SD/465 भू उपयोग : आवासीय
कुल क्षेत्रफल : 139-45 वर्ग मी. स्थिति शास्त्री नगर
जिसकी पूर्वी भुजा : 50'-0" पश्चिमी भुजा : 50'-0"
उत्तर भुजा : 30'-0" दक्षिणी भुजा : 30'-0"

है। प्रश्नगत भवन की सीमाएं निम्न है।

पूरुब भवन सं० : 466

पश्चिम भवन सं० : 464

उत्तरी भवन सं० : 462

दक्षिण भवन सं० : 460-0" सड़क

कमला देवी

एस० के० यादव
वित्त नियन्त्रक/प्रभारी रजिस्ट्री
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

OF HIG HOUSE NO 465
NAGAR GHAZIABAD.

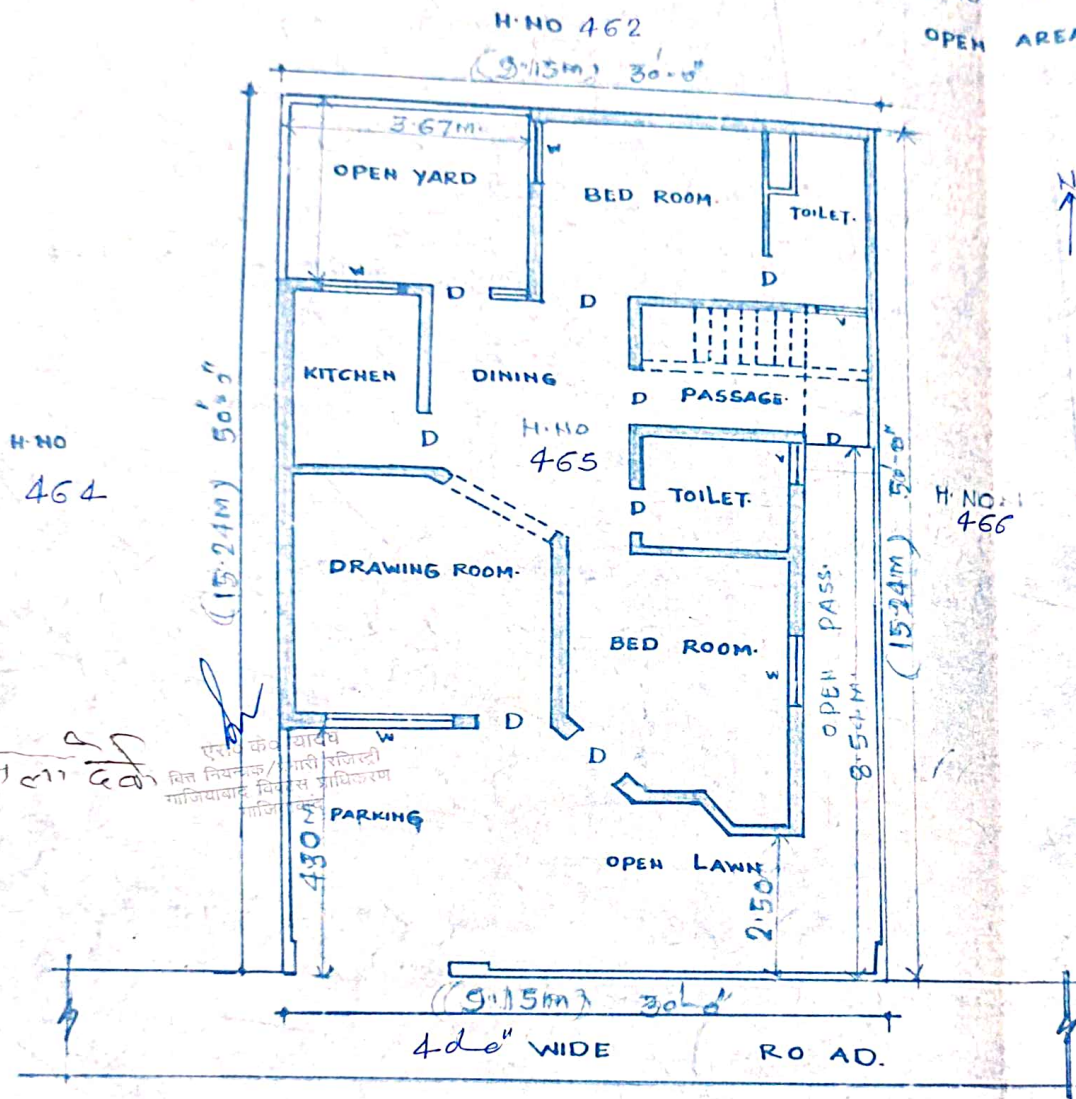
BLOCK 'D' IN SECTOR XVI

(GROUND FLOOR PLAN)

TOTAL PLOT AREA = 139.45 SQM

COVERED AREA = 76.00 SQM

OPEN AREA = 63.45 SQM



PREPARED BY:

COMPARED BY:

MEASURED & AREA CALC BY:

AREA CHECKED BY:

ASST. ENGINEER.

TOWN PLANNER.

साक्षीगण :

(1) हस्ताक्षर

नाम *Smil Tyagi*

उम्र *35 yr*

पिता का नाम *Sham Nath Tyagi*

द्वारा

व्यवसाय *Service*

निवास *Rh/102 Raj Nagar
Ghaziabad*

दिनांक

विक्रेता के लिए
प्राधिकृत अधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद


(विक्रेता)

(2) हस्ताक्षर

नाम *S M Ali*

उम्र *62 yr*

पिता का नाम *S. Shabir Ali*

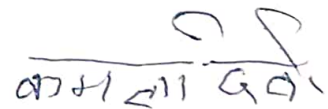
द्वारा

व्यवसाय *Service*

निवास *51/1 Lal Quater
Ghaziabad*

दिनांक

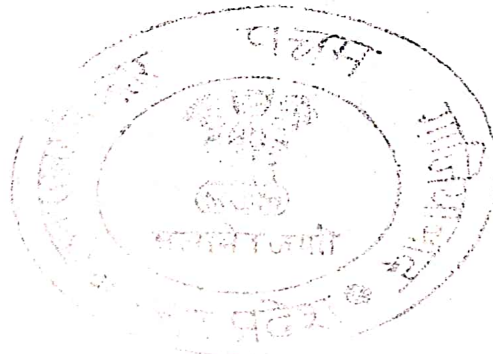
एस० के० यादव
वित्त नियन्त्रक/प्रभारी रजिस्ट्री
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद


कमला देवी

(क्रेता के हस्ताक्षर)

आज दिनांक 15/03/2007 को
वही सं 1 जिल्द सं 1730
पृष्ठ सं 198 से 210 पर क्रमांक 1548
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


के. के. यादव
उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद
15/3/2007



(5)

Dev Dutta Sharma

(4)

कार्यालय

उप जिलाधिकारी

गाजियाबाद ।

संख्या-: २०६६ / अह.राजस्व-एस.डी.ओ.गाजि. / 2018 दिनांक: ०९ अक्टूबर, 2018

वारिसान प्रमाण पत्र

तहसीलदार गाजियाबाद की जांच आख्या दिनांक-08-10-2018 (छायाप्रति पुस्त पर प्रमाण का भाग रहेगा) के आधार पर एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी विपिन कुमार पुत्र स्व० श्री धर्मवीर सिंह निवासी मकान नं०-कै०एम०-06, कविनगर गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के पिता स्व० श्री धर्मवीर सिंह पुत्र स्व० श्री खुशहाल सिंह की मृत्यु दिनांक-15-05-2015 को एवं प्रार्थी की माता स्व० श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० श्री धर्मवीर सिंह की मृत्यु दिनांक-25-05-2013 को हो चुकी है। तहसीलदार गाजियाबाद की जांच आख्या के आधार पर मृतक के निम्नलिखित वारिसान तसदीक किये जाते हैं :-

क्र.सं.	मृतक के वारिसों के नाम	मृतक से सम्बन्ध	उम्र	विशेष
1	2	3	4	5
1	श्री विपिन कुमार	पुत्र	61वर्ष	विवाहित
2	श्री अशोक कुमार सिंह	पुत्र	56वर्ष	विवाहित

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान तसदीक नहीं किया गया है।

1-यह प्रमाण-पत्र गवर्नमेन्ट सिक्यूरिटीज मैनुअल के प्रस्तर-66(ब) के साथ पठित इण्डियन सिक्यूरिटीज एक्ट सन 1920 के प्रस्तर 13(2) के अन्तर्गत विहित प्राविधानों के अनुसार मात्र केवल रुपये 5,000-00 (पाँच हजार) तक के भुगतान सम्बन्धी मामलों में ही मान्य है। अगर सम्बन्धित विभाग द्वारा 5,000-00 (पाँच हजार) से अधिक की किसी भी धनराशि के भुगतान/सेवा/सम्पत्ति के किसी प्रकार की इस प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाती है तो उस विभाग की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

2-किसी भी स्तर पर शपथ पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों अथवा किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन होने या तथ्य छिपाये जाने पर प्रमाण पत्र स्वतः ही शून्य माना जायेगा। रुपये 5,000-00 (पाँच हजार) से अधिक की धनराशि/सम्पत्ति के किसी प्रकार के प्रयोजन हेतु प्रस्तुत करने पर उक्त वारिसान प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

3-5,000-00 से अधिक की धनराशि के भुगतान/सम्पत्ति के किसी प्रकार के प्रयोजन हेतु जारी यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, अपितु इसके लिये सक्षम न्यायालय से सम्बन्धित को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कराना होगा।

4- यह प्रमाण पत्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद/नगर निगम गाजियाबाद/व स्थानीय निकायों आदि में सम्पत्ति में नाम परिवर्तन हेतु मान्य नहीं होगा, अपितु इसके लिये सक्षम न्यायालय से सम्बन्धित को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कराना अनिवार्य होगा।



उप जिलामजिस्ट्रेट/
कृते जिलामजिस्ट्रेट
गाजियाबाद।

12
01/10/18

गोपाल जी के आदेश के अनुसार मैं संलग्न प्रार्थना पत्र को
आपको भिजाने का प्रयत्न कर रहा हूँ।
आपको श्री विपिन कुमार पुत्र स्व. दामोदर सिंह निवासी गा. नं. 1
वार्ड नं. 1 तहसील न. जिला गा. गा. नं. 1 के पिता स्व. दामोदर सिंह पुत्र
सिंह का देहान्त संलग्न प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 15-5-2015 को
है तथा प्रार्थना के माता स्व. श्रीमती कमला देवी का देहान्त संलग्न प्रार्थना
अनुसार दिनांक 25-5-2013 को हो चुका है। प्रार्थना के उपरान्त परिवार
संलग्न लिखित परिणाम सदस्य है।

क्र.सं.	नाम	पुत्र/पुत्री	संख्या	विवरण
(1)	श्री विपिन कुमार	पुत्र	61 वर्ष	विवाहित
(2)	श्री अशोक कुमार सिंह	पुत्र	56 वर्ष	विवाहित

प्रार्थना के परिवार में 1 ता 2 के अलावा अन्ना के 2 परिवार सदस्य हैं।
है प्रार्थना पत्रों के द्वारा उक्ति व शपथ पत्र संलग्न है। रिपोर्ट सेवा में संस्तुति
सहित प्रस्तुत है।

01/10/18

उपरोक्त
जी.पी.एल. आ.प्र.नं. 1 प्रतिलिपि - चरबी सिंह के
उपरोक्त कुमां 01/10/18 को प्रार्थना सदस्य
है। आज्ञा संकेत सहित प्रेषित है।

31/10/18
महाश्व
शक्ति आनंद
संस्कृति संकेत प्रेषित।

आ.प्र.नं. 1
राजस्थान सरकार
तहसील - राज. (गा.जियाबाद)

तहसीलदार
गाजियाबाद
21/10/18

(5)

Dev Dutta Sharma
Advocate UP No. - 3143/81
Ch. 189 Dist. & Session Court GZB.

85
26-718

27th Cont of Adal Girdhar, Jd)
Cont III Gdzh

as 29.11y

Mohd. Anwar Sh

In
Admission Lt Jdzh



STAMP.....Rs. 10

Head Copyist

प्रार्थना पत्र देने की तिथि 26-7-18
नोटिस/वेपार की तिथि 28-7-18
प्रतिनिधि देने की तिथि 28-7-18

आर्कडिस जुलै 2018

28-7-18

मुख्य प्रार्थनापत्र
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद



CNR No-7 DP4285-001535-24

न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.) कोर्ट संख्या 3, गाजियाबाद ।

मूल वाद संख्या 290/2014

अशोक कुमार सिंह

बनाम

धर्मवीर सिंह आदि

05.07.2018

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर उभय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित । पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत वाद में आपसी समझौता नामा 33 क 1 प्रस्तुत कर कहा गया है कि उनके बीच समझौता नामा 33 क 1 की शर्तों के अनुसार समझौता हो गया है तथा आपसी समझौते के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण 2 के मध्य कोई भी विवाद शेष नहीं रह गया है । अतः प्रस्तुत वाद समझौता नामा के आधार पर समाप्त किया जाये ।

उक्त समझौता पत्र में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य समझौता हो चुका है। समझौता नामा के अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत सम्पत्ति मकान संख्या के.एम.6 कविनगर गाजियाबाद का मालिक प्रतिवादी विपिन कुमार, मकान संख्या के.एच.27 कविनगर गाजियाबाद का मालिक वादी अशोक कुमार तथा काउण्टर क्लेम में वर्णित मकान संख्या एस.डी.त्र.465 शास्त्रीनगर गाजियाबाद का मालिक प्रतिवादी विपिन कुमार रहेगा । अतः प्रस्तुत वाद पक्षकारों के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता निर्णीत किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रश्नगत सम्पत्ति हेतु प्रस्तुत वाद उभय पक्षों के समझौता पत्र 33 क 1 की शर्तों के अनुरूप निर्णीत किया जाता है। प्रश्नगत समझौता वाद के पक्षकारों के बीच मान्य होगा। समझौता पत्र 33 क 1 डिक्री का भाग होगा ।

अपर सिविल जज (प्रवर-खण्ड)

कोर्ट संख्या 3, गाजियाबाद।



सत्य फोटो प्रतिलिपि

28-7-18
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

प्रेषक,

संयुक्त सचिव/विशेष कार्याधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

श्री. विपिन कुमार पुत्र स्व. श्री. चर्म
वीर सिंह
निवासी - फे. एन-6-मुक्ति नगर
जिला - गाजियाबाद

पत्र संख्या

23/नवन-465/18

दिनांक

26/12/18

विषय :-

भवन संख्या-SD-465-शारदा नगर नगरीय क्षेत्र

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्रों के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि भूखण्ड /भवन संख्या SD-465-शारदा नगर जिला, गाजियाबाद के खाते में मृतक श्री/श्रीमती/ ~~कमला देवी पुत्री स्व. श्री. चर्म~~ के स्थान पर आपका नाम दर्ज कर लिया गया है। शेष नियम एवं शर्तें पूर्व आवंटी पर लागू थी वह आप पर भी लागू रहेंगी एवं किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में उक्त नामान्तरण स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा जिसका उत्तरदायित्व आपका होगा।

संयुक्त सचिव/विशेष कार्याधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

भाग 1

प्रत्युत्कर्षी अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

निष्कर्षक सदस्य संख्या गाजियाबाद ज.स. 2021140024114

निष्कर्षक संख्या 202100739098225

लेख या पार्यता पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2021-09-07 00:00:00

प्रत्युत्कर्षी या प्रार्थी का नाम आरुणी मिश्रा

लेख का प्रकार दान पत्र

प्रतिफल की घनराशि 0 / 6861000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 68610

2. प्रतिनिधित्व शुल्क 80

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मूल्य के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 68690

शुल्क प्रस्तुत करने का दिनांक 2021-09-07 00:00:00

निष्कर्षक द्वारा लेख प्रतिनिधि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2021-09-07 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(7)

सदस्य संविदा पत्र
कीस प्राप्त की

संजीव कौशिक

अध्यक्ष

सहायक लेखक एगोरीकरण (रजि.)



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Name: SAILJAY KUMAR GARG

License Number : 33

Signature :

Chamber No-24, Tehsil Compound,
Gandhi Nagar, Ghaziabad

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP56767676431667T

: 07-Sep-2021 12:42 PM

: NEWIMPACC (SV)/ up14004404/ GHAZIABAD/ UP-GZB

: SUBIN-UPUP1400440402025027233342T

: VIPIN KUMAR

: Article 33 Gift

: HOUSE NO.-S.D-465, SHASTRI NAGAR GHAZIABAD

: VIPIN KUMAR

: ARUSHI SIWACH

: VIPIN KUMAR

: 4,70,500

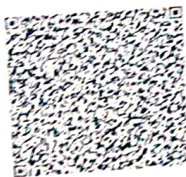
: (Four Lakh Seventy Thousand Five Hundred only)

Verified By

Registration Clerk
Ghaziabad

Locked By

Sub Registrar-V
Ghaziabad



Please write or type below this line.

Vipin Kumar

Arushi

KC 0010005262

(2)

उपहार पत्र का संक्षिप्त विवरण



1. भूमि का प्रकार :- आवासीय
2. परगना- डासना
3. मौहल्ला/ग्राम- शास्त्री नगर
4. सम्पत्ति का विवरण : आवासीय भवन संख्या-एस.डी.-465,
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) :- वर्गमीटर
6. क्षेत्रफल :- 139.45 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति :- सड़क 40 फुट चौड़ी।
8. सम्पत्ति का प्रकार :- आवासीय भवन,
प्लॉट/फ्लैट/मकान/दुकान/कृषि
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में) :- 76 वर्गमीटर
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल :- फिनिशड
12. स्थिति-फिनिशड/सेमीफिनिशड/अन्य :- 43,200/-रुपये प्रति वर्गमीटर है
13. भूमि दर :- 76 वर्गमीटर
14. निर्माण की श्रेणी व दर :- द्वितीय श्रेणी, दर-11,000/-रुपये प्रति वर्गमीटर
15. निर्मित क्षेत्रफल :-
16. निर्माण का वर्ष :-
17. पार्क फैसिंग है या नहीं
17. प्रतिफल की धनराशि :- कोई नहीं।

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

Vipin Kumar

Arushi

आवेदन सं०: 202100739098225

दान पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3206

वर्ष: 2021

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 470500 बाजारी मूल्य- 6861000 पंजीकरण शुल्क - 68610 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 68690

श्रीमती आरूषी सिवाच,
पत्नी श्री अवि मलिक
व्यवसाय : अन्य
निवासी: थर्ड-ए-41, नेहरू नगर, गाजियाबाद

Arushi



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 07/09/2021 एवं 01:13:43 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का हस्ताक्षर

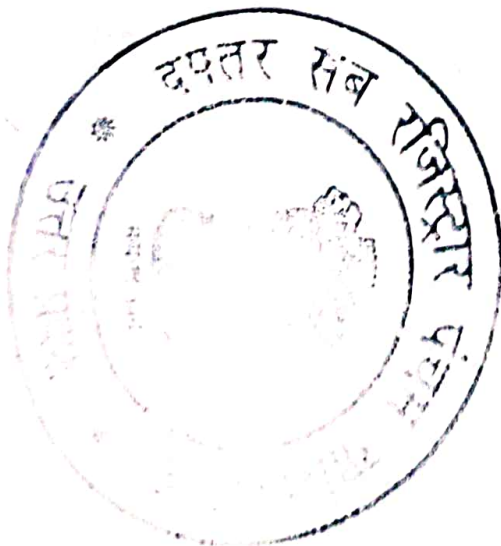
नवीन राय

उप निबंधक : सदर पंचम
गाजियाबाद
07/09/2021

विश्वास वर्मा

निबंधक लिपिक

152



उपहार पत्र (गिफ्ट डील)
पर स्टाम्प अंकन-
स्टाम्प 4 प्रति
संस्थागत फ
नि०-५
अ

(3)

उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) अंकन-68,61,000/- रुपये की अचल सम्पत्ति का जिस पर स्टाम्प अंकन-4,70,500/-रुपये का अदा किया गया है।

स्टाम्प 4 प्रतिशत व आवास विकास शुल्क 2 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, अधिसूचना आदेश संख्या-स0 वि0 क0 नि0-5-2756/11-2008-500 (1165)/2007 लखनऊ दिनांक-30.06.2008 के अनुसार शेडयूल 1 बी के अनुच्छेद 23 के खण्ड क (1) के अनुसार महिलाओं के लिए 10 लाख की मालियत तक 40/-रुपये प्रति हजार (4 प्रतिशत + 2 प्रतिशत विकास शुल्क कुल 6 प्रतिशत) व 10 लाख की मालियत से अधिक पर 50/-रुपये प्रति हजार (5 प्रतिशत + 2 प्रतिशत विकास शुल्क कुल 7 प्रतिशत)

विवरण उपहार दी जाने वाली सम्पत्ति का :-

एक किता आवासीय भवन संख्या-एस.डी.-465, क्षेत्रफल 139.45 वर्गमीटर जिसमें दो बेडरूम, एक ड्राईंग/डायनिंगरूम, एक किचिन, दो टॉयलेट व जीना बनें हैं, कवर्ड एरिया 76 वर्गमीटर है, शेष खाली है। स्थित आवासीय कालोनी शास्त्री नगर, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद। उपहार पत्र में जो निर्माण उल्लेखित है वही नक्शे पर प्रदर्शित किया गया है। उक्त भवन की 50 मीटर की त्रिज्या में आवासीय भवन स्थित है। उक्त भवन मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दू से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

Vipin Kumar

Anurag

आवेदन सं०: 202100739098225

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3206

वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त दान दाता: 1

श्री विपिन कुमार, पुत्र श्री स्व० धर्मवीर सिंह

निवासी: के एम-6, कविनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

दान गृहीता: 1

Vipin Kumar



श्रीमती आरूषी सिवाच, पत्नी श्री अवि मलिक

निवासी: थर्ड-ए-41, नेहरू नगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

Aarushi



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री राम सहाय, पुत्र श्री दुक्खू प्रसाद

निवासी: हथिया, बस्ती, उ० प्र०-272302

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

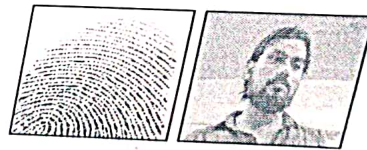
Ram Sahay



श्री ध्रुव माहेश्वरी, पुत्र श्री सुनील कुमार चांडक

निवासी: 252-1, जगदीश विला, मेरठ सिटी, मेरठ-250002

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नवीन राय

उप निबंधक: सदर पंचम
गाजियाबाद

विश्वास वर्मा
निबंधक लिपिक

ने की। प्रत्यक्षतः साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिखे गए हैं।
टिप्पणी:



यह उपहार पत्र आज स्थान गाजियाबाद में श्री विपिन कुमार पुत्र स्व. श्री धर्मवीर सिंह निवासी के.एम.-6, कविनगर, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद प्रथम पक्ष (जिन्हें इस प्रलेख में उपहारकर्ता कहा गया है)। (PAN-AJIPK3574H) एवं श्रीमति आरुषी सिवाच पत्नी श्री अवि मलिक निवासी थर्ड-ए-41, नेहरू नगर, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद (जिसे इस प्रलेख में उपहार प्राप्तकर्ता कहा गया है)। (PAN-BMMP55871E) इस प्रलेख में पक्षकारों के समस्त उत्तराधिकारीगण वैधानिक प्रतिनिधिगण एवं स्थानापन्न सम्मिलित समझे जावेंगे।

विदित हो कि एक किता आवासीय भवन संख्या-एस.डी.-465, क्षेत्रफल 139.45 वर्गमीटर जिसमें दो बैडरूम, एक ड्राईंग/डायनिंगरूम, एक किचिन, दो टॉयलेट व जीना बनें हैं, कवर्ड एरिया 76 वर्गमीटर है, शेष खाली है। स्थित आवासीय कालोनी शास्त्री नगर, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद का मैं प्रथम पक्ष उपहारकर्ता मालिक व काबिज हूँ। उक्त भवन मुझ प्रथम पक्ष उपहारकर्ता की माता श्रीमति कमला देवी पत्नी स्व. श्री धर्मवीर सिंह को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद से एलाट हुआ था, जिसका विक्रय विलेख गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा दिनांक-15.03.2007 ई. को बही नम्बर-1 जिल्द 1730 के पृष्ठ 211/220 में नम्बर-1549 पर दिनांक-15.03.2007 ई. को कार्यालय सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद में दर्ज होकर हुआ है तथा मुझ प्रथम पक्ष

Vipin Kumar

Arunshi



संजीव कौशिक
अध्यक्ष
उप-रजिस्ट्रार (रजि.)



Vipin

उपहारकर्ता की माता श्रीमति कमला देवी का देहान्त दिनांक-25.05.2013 ई. को हो चुका है, जिनकी मृत्यु के पश्चात पत्रांक संख्या-23/भवन अनुभाग/18 दिनांक-26.12.2018 ई. के द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद में मुझ प्रथम पक्ष उपहारकर्ता का नाम दर्ज हो गया है। उक्त भवन ब्लाक-डी, शास्त्री नगर गाजियाबाद में स्थित है जिसकी भूमि दर अंकन-43,200/-रूपये प्रति वर्गमीटर की निर्धारित किया हुआ है। तथा उक्त भवन का निर्माण द्वितीय श्रेणी का है, निर्माण दर-11,000/-रूपये प्रति वर्गमीटर है, जिस पर नियमानुसार स्टाम्प अदा किया गया है। उपहार की जाने वाली सम्पत्ति आज तक मुझ प्रथम पक्ष उपहारकर्ता की ओर से हर प्रकार के बन्धक भार आदि से सुरक्षित है, कही अन्य जगह किसी उपहार, करार, विक्रय, जमानत, बैंक ऋण एवं बन्धन आदि में ग्रस्त नहीं है। उपहार किये जाने वाले भवन के विषय में कोई वाद विवाद किसी न्यायालय, किसी कार्यालय एवं किसी विभाग में लम्बित नहीं है, हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। उपहार प्राप्तकर्ता मुझ प्रथम पक्ष की पुत्री है। उपहार प्राप्तकर्ता के प्रति स्नेह एवं सहानुभूति के फलस्वरूप मुझ उपहारकर्ता अपने उक्त आवासीय भवन को उपहार प्राप्तकर्ता के पक्ष में उपहार कर देना चाहता हूँ। इस उपहार पत्र द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति उपहार प्राप्तकर्ता को बिना किसी प्रतिफल/मुआवजे के उपहार की जा रही है। उक्त सम्पत्ति का यह उपहार श्रीमति आरुषी सिवाच को भी स्वीकार है और

Vipin Kumar

Arushi



वैजय कौशिक
अध्यक्ष
ग्र. सेवाक समिति (गजि०)



(6)

उन्होंने स्वीकृति स्वरूप इस उपहार पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा इस उपहार पत्र को निष्पादित किया है। उपहारकर्ता उपरोक्त सम्पत्ति को उपहार करने के पूर्ण रूप से अधिकारी है, कोई वैधानिक या अवैधानिक आपत्ति उपहार करने में नहीं है।

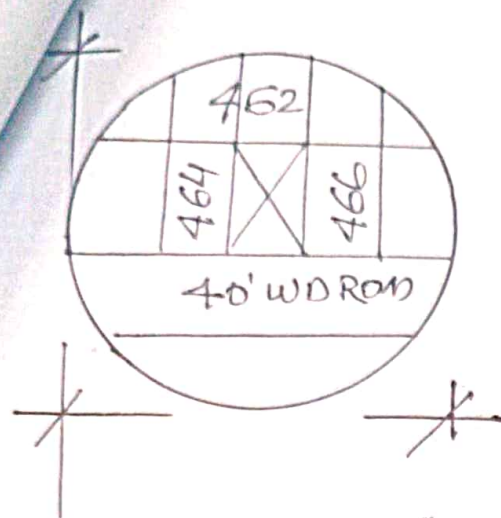
अतः मुझ उपहारकर्ता ने अपने खुशी, रजामन्दी, शुद्ध बुद्धि, स्वस्थ इन्द्रियों से बिना किसी बहकाव व धमकाव के प्रभावित होते हुए उक्त सम्पत्ति को समस्त अधिकार स्वामित्व, समस्त अधिकार करने प्रयोग हर प्रकार आदि आदि सहित आज के तिथि में आज के बाजारी मूल्य अंकन-68,61,000/-रुपये (अडसठ लाख इकसठ हजार रुपये) आधे जिसके अंकन-34,30,500/- रुपये (चौतीस लाख तीस हजार पांच सौ रुपये) होते हैं, पर स्टाम्प अदा करके बिना किसी मूल्य (मुआवजे) के द्वितीय पक्ष उपहार प्राप्तकर्ता श्रीमति आरुषी सिवाच उपरोक्त के पक्ष में उपहार कर दी। उपहार की गई सम्पत्ति पर उपहार प्राप्तकर्ता का कब्जा करा दिया गया है, जिसकी उपहार प्राप्तकर्ता पूर्ण रूप से मालिक और काबिज बन गयी है। उपहार प्राप्तकर्ता को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि उक्त सम्पत्ति को जिस प्रकार चाहें अपने प्रयोग में लावे, स्वयं रहे, किसी अन्य को रखे, कही बन्धक रखे, किसी को उपहार

Vipin Kumar

Anshu



SITE PLAN OF HOUSE NO- 465
 H1 G Block D SECTOR XVI
 SITUATED AT SHASTRI NAGAR
 GHANSHYAM (UP)



GROUND FLOOR

PLOT AREA = 139.45 M²

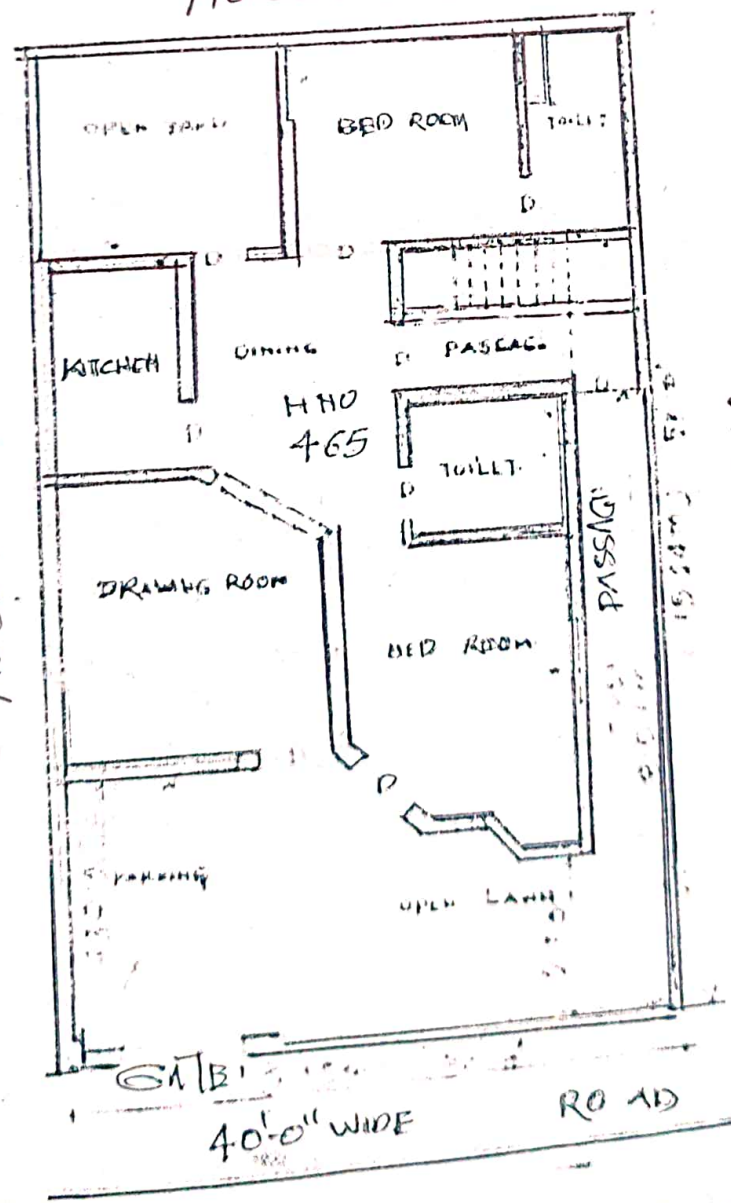
COVD AREA = 76.50 M²

HOUSE NO 462

SELLER-
Vipin Kumar

PURCHASER
Anshu

HOUSE NO- 464



HOUSE NO- 466

Kurdeep Kumar
 10/12/2020
 11/1/2021

संज्ञाव काधिक

4235

तत्तावेज

भयय

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

05 AUG 2020

रु. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FR 563649

शुद्धि पत्र (तितम्मा) :-

हम कि श्री विपिन कुमार पुत्र स्व. श्री धर्मवीर सिंह निवासी के.एम.-6,
कविनगर, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद प्रथम पक्ष
(PAN-AJTPK3574H)

एवं श्रीमति आरुषी सिवाच पत्नी श्री अवि मलिक निवासी थर्ड-ए-41,
नेहरू नगर, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद द्वितीय पक्ष।
(PAN-BMMPS5871E)

Vipin Kumar

Arushi

95
 05/10/21
 आरूषी सिवाच

मूलचक्र न्यायती अदालत दिल्ली

महानगर, पन्ना, 137

हाइलेक्स को अर्द्ध 31 मार्च 20

प्रेम्बर 20-20, तह आवेदन सं०: 202100739127863

शुद्धिपत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4235

वर्ष: 2021

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 160

श्रीमती आरूषी सिवाच,
 पत्नी श्री अवि मलिक
 व्यवसाय: अन्य
 निवासी: थर्ड-ए-41, नेहरू नगर, गाजियाबाद

Arushi



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 02/11/2021 एवं 02:11:49 PM बजे
 निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विश्वस वर्मा प्रभारी
 उप निबंधक : सदर पंचम
 गाजियाबाद
 02/11/2021

गौरव कुमार
 निबंधक लिपिक



आवेदन सं०: 202100739127863

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4235

वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष: 1

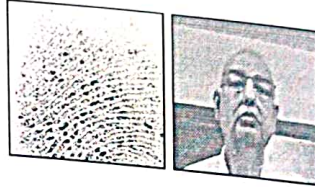
श्री विपिन कुमार, पुत्र श्री स्व० धर्मवीर सिंह

निवासी: के एम-6, कविनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

द्वितीय पक्ष: 1

Vipin Kumar



श्रीमती आरूषी सिवाच, पत्नी श्री अवि मलिक

निवासी: थर्ड-ए-41, नेहरू नगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

Arushi



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री हुक्म सिंह, पुत्र श्री बलजीत सिंह

निवासी: सैन विहार, झुन्डाहैडा जिला गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

H



श्री गौरव शर्मा, पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा

निवासी: के एम-118, कविनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

Gaurav Sharma

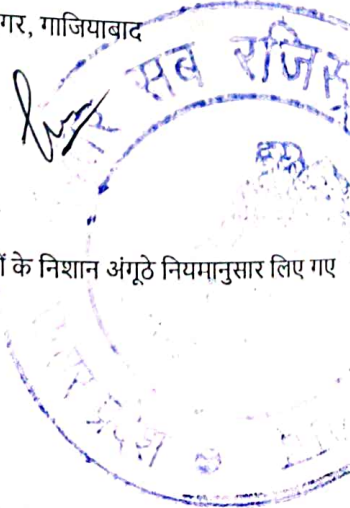


रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए
हैं।
टिप्पणी:

विश्वस वरमा प्रभारी
उप निबंधक: संदर पंचम
गाजियाबाद

गौरव कुमार,
निबंधक लिपिक



(2)

विदित हो कि एक किता आवासीय भवन संख्या-एस.डी.-465, क्षेत्रफल 139.45 वर्गमीटर जिसमें दो बैडरूम, एक ड्राईंग/डायनिंगरूम, एक किचिन, दो टॉयलेट व जीना बनें हैं, कवर्ड एरिया 76 वर्गमीटर है, शेष खाली है। स्थित आवासीय कालोनी शास्त्री नगर, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद का एक उपहार पत्र प्रथम पक्ष ने दिनांक-07.09.2021 ई. को द्वितीय पक्ष के हक में किया था, जिसकी रजिस्टरी कार्यालय सब रजिस्टार-पंचम, गाजियाबाद में बही

Vipin Kumar

Rangli

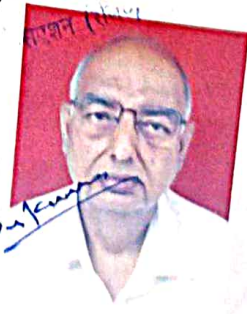
(3)

नम्बर-1 जिल्द 8735 के पृष्ठ 23/48 में नम्बर-3206 पर दिनांक-07.09.2021 ई. को दर्ज होकर हुई है। उपरोक्त उपहार पत्र जो प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के नाम उपहार पत्र किया है उसमें गलतीवंश गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा किया गया विक्रय विलेख के पृष्ठ संख्या व क्रमांक संख्या गलत टाईप हो गये हैं, जबकि उक्त विक्रय विलेख के सही बही नम्बर-1 जिल्द 1730 के पृष्ठ 13 में नम्बर-1548 पर दिनांक-15.03.2007 ई. को कार्यालय सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद में दर्ज होकर हुआ है यह है, बाकी उक्त उपहार पत्र का शेष कथन सही है। अतः

Vipin Kumar

Amelia

संजीव कुमार
सहायक निदेशक
सहायक निदेशक

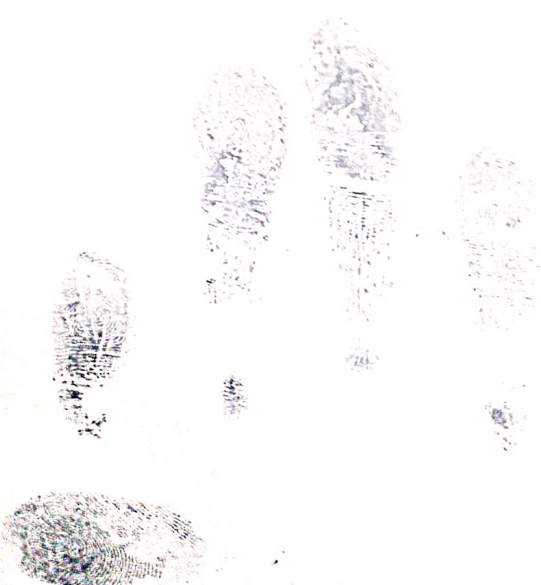


(4)

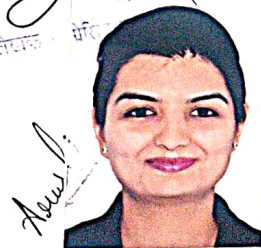
आज के बाद उक्त उपहार पत्र में उक्त विक्रय विलेख के वही नम्बर-1 जिल्द 1730 के पृष्ठ 198/210 में नम्बर-1548 पर दिनांक-15.03.2007 ई. पढ़ा जावें जो सही व सत्य है, बाकी उपरोक्त उपहार पत्र की समस्त भाषा, क्षेत्रफल, आदि यथावत है, जिसके लिये दोनों पक्ष पूर्ण रूप से रजामन्द है, जिसके अनुसार शुद्धि की जा रही है। तथा उपरोक्त उपहार पत्र को उपरोक्त शुद्धि पत्र के साथ पढ़ा जाये और इस शुद्धि पत्र को उस उपहार पत्र का अभिन्न भाग माना जावे। शुद्धि पत्र के पंजीकृत कराने से किसी भी प्रकार से स्टाम्प शुल्क प्रभावित नहीं होता है।

Vipin Kumar

Anurag



संजीव कुमार
वस्तुनिष्ठ लेखक



(5)

अतः यह शुद्धि पत्र (तितम्मा) लिख दिया गया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

Nipin Kumar

Amul

गवाह:-

हुक्म सिंह पुत्र श्री बलजीत सिंह
निवासी सैन विहार, डून्डाहैडा जिला गाजियाबाद।

गवाह:-

गौरव शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा
निवासी के.एम.-118, कविनगर, गाजियाबाद।



दिनांक-02.11.2021 ई. मसौदा संजीव कौशिक, बैनामा लेखक, चैम्बर नम्बर-20,
तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद।

संजीव कौशिक

वस्तुवेत लेखक एगोस्टि (रजि०)



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-DL41785142644016T
: 26-Oct-2021 12:45 PM
: IMPACC (IV)/ dl775903/ DELHI/ DL-DLH
: SUBIN-DL77590378402475382541T
: ARUSHI SIWACH
: Article 4 Affidavit
: Not Applicable
: 0
: (Zero)
: ARUSHI SIWACH
: STATE BANK OF INDIA
: ARUSHI SIWACH
: 10
: (Ten only)

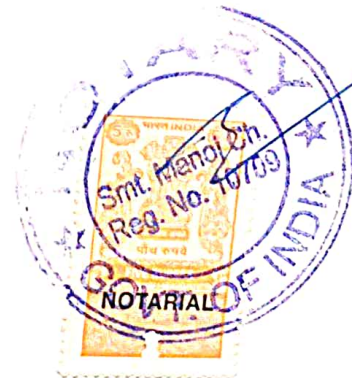


Arushi

Please write or type below this line.



27/10/21



AFFIDAVIT

BEFORE: - THE CHIEF MANAGER, STATE BANK OF INDIA,

AFFIDAVIT OF SMT. ARUSHI SIVACH W/O SHRI AVI MALIK

R/O _____

I/WE, the above named deponent do hereby solemnly affirm and declare on oath as under:-

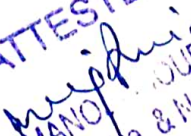
- 1) That I/we am/are the absolute owner & possession of the property i.e. Residential House no S D -465 area 139 45 sq. mts. situated in Residential Colony, Shashtri Nagar, Ghaziabad, Tehsil & District- Ghaziabad.
East - House no. 466,
West - House no. 464,
North - House no. 462,
South - Road 40 feet wide.
- 2) That the above said property is free from all kind of encumbrances e.g. sale, agreement to sale, gift, attachment, auction or any other Govt. dues etc.
- 3) That the same shall be continued to be so till such time when all proposed loan being sought by me/us from you is fully paid back with interest & expenses and the said loan stood completely discharged.
- 4) That the said property is not disputed in any court of Law or offices in Delhi & in any other state.
- 5) That the said property is not affected by any Agricultural Laws, weaker Sections, minorities, Land Laws, SEZ regulations, Costal Zone Regulations, Environmental Clearance, etc.
- 6) That the said property is not acquired by Government authorities. he title deeds of the said property is not fake or duplicate.
- 7) That if at any later stage the above mentioned matter is found false or subsequently contravened in that case the above said bank is fully entitled to take Civil as well as Criminal proceedings against me/us to safeguard its interest.
- 8) That I/we am/are ready to mortgage the said property in favour of above said bank to provide primary/collateral security as borrower for the propose loan to me/us.


DEPONENT

VERIFICATION:-

Verified at _____ on this ____ day of _____ 2021 that the contents of this affidavit are true to our knowledge. Nothing material has been concealed there from. So help me/us GOD.


DEPONENT

ATTESTED

Smt. MANOJ CHODHARY
Advocate & Notary
Govt. of India
27/10

गाजियाबाद नगर निगम
क्षेत्रीय कार्यालय KAVI NAGAR
बिल भवनकर - जलकर सी 112 ड्रेनेज कर

2122KN2418

KN2418

47

SD-165

Shastri Nagar D - Block

बिल जारी करने की तिथि 07/06/2021
वित्तीय वर्ष 2021-2022

मोहताब न. 9810527510

नाम Kamala Devi

पिता/पति 8766

ए.आर.बी. Shastri Nagar D - Block

पता:

क्र.	विवरण	कच से कच तक	धनराशि
1	भवनकर वर्तमान	2021-2022	876.60
2	वर्तमान पर छूट (20%)		175.32
3	भवनकर बकाया		0.00
4	बकाया भवनकर पर ब्याज (12%)		0.00
5	भवनकर की देय राशि (छूट के बाद)		701.28
6	जलकर वर्तमान	2021-2022	876.60
7	वर्तमान पर छूट (20%)		175.32
8	जलकर बकाया		0.00
9	बकाया जलकर पर ब्याज (12%)		0.00
10	जलकर की देय राशि (छूट के बाद)		701.28
11	सीवर ड्रेनेज कर वर्तमान	2021-2022	350.64
12	वर्तमान पर छूट (20%)		70.13
13	सीवर/ड्रेनेज कर बकाया		0.00
14	बकाया सीवर कर पर ब्याज (12%)		0.00
15	सीवर/ड्रेनेज कर की देय राशि (छूट के बाद)		280.51
16	कुल छूट		420.77
17	कुल देय राशि (छूट के बाद)		1683.07
अंतिम तिथि के बाद कुल देय राशि			2103.84

पदनाम

हस्ताक्षर

(1) छूट की दर दिनांक 01.04.2021 से 31.10.2021 तक 20%, 01.11.21 से 31.12.2021 तक 15%, 01.01.2022 से 28.02.2022 तक 10% तथा माह मार्च में कोई भी छूट अनुमन्य न होगी।

(2) कोई अदायगी, जो इस विल में दी हुई रकम की बिना पर की गई हो, उस समय तक जायज न होगी जब तक कि अदा करने वाले को छपे हुए निम्न फार्म नगर निगम के लेखा नियमावली के 8 के अनुसार फार्म 2 पर एक रसीद हासिल न कर ली हो, जिस पर किसी जिम्मेदार कर्मचारी के हस्ताक्षर हो। रामस्त ऑनलाईन किये गये भुगतान हेतु कम्प्यूटर (ऑनलाईन) रसीद ही मान्य होगी।



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक

734 / भवन अनुभाग जोन-4 / 2021

दिनांक:- 25/10/2021

नाम दर्ज प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमती आरुषि सिवाच पत्नी श्री अवि मलिक,
निवासी-थर्ड-ए0-41, नेहरू नगर,
गाजियाबाद।

विषय:- भवन संख्या-एस0डी0-465, एच0आई0जी0, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद में नाम दर्ज के सम्बन्ध में।

आपके पत्र दिनांक-17.09.2021 के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि भवन संख्या-एस0डी0-465, एच0आई0जी0 शास्त्रीनगर, का विक्रय विलेख दिनांक-07.09.2021 को आपके पक्ष में हो जाने के कारण इस भवन पर श्री विपिन कुमार पुत्र स्व0 श्री धर्मवीर सिंह के स्थान पर आपका नाम भवन के अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है:-

जो नियम व शर्त पूर्व आवंटी पर लागू थी वे सभी नियम व शर्त आप पर भी लागू होंगी। तथा किसी भी प्रकार के वाद-विवाद होने एवं तथ्य छिपाये जाने की दशा में नाम दर्ज की कार्यावाही स्वतः निरस्त समझी जायेगी।


प्रभारी सम्पत्ति जोन-4
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद।

पत्रक

प्रभारी सम्पत्ति
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में

श्री विपिन कुमार
पुत्र स्व० श्री धर्मवीर सिंह
निवासी-कै०एम० 6, कविनगर
गाजियाबाद।

पत्रक 05

/भ०अनु०/2018

दिनांक 03/12/2018

विषय : भवन संख्या-एस०डी० 465, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आप नीचे दिये गये 'सार्वजनिक सूचना' के प्रारूप को किसी भी राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक एवं स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ताकि नाम दर्ज की कार्यवाही की जा सकें। राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में हिन्दुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण व हिन्दुस्तान ही सम्बन्ध है।

"सार्वजनिक सूचना"

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भवन संख्या-एस०डी० 465, शास्त्रीनगर गाजियाबाद के अभिलेखों में कार्यालय पत्र दिनांक 24/10/92 के द्वारा श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री धर्मवीर सिंह का नाम दर्ज किया गया था। तत्पश्चात श्रीमती कमला देवी का दिनांक 25/05/2013 को मृत्यु हो गयी है एवं उनके पति श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री खुशाह सिंह की दिनांक 15/05/2017 को मृत्यु हो चुकी है। अब मृतक आवंटी श्रीमती कमला देवी का वारिस पुत्र श्री विपिन कुमार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र, अनापत्ति शपथपत्र व आई०डी० की प्रतियाँ प्रस्तुत करते हुए अपना नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना की गयी है। नाम दर्ज के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करा दें। अन्यथा भवन के अभिलेखों में मृतक आवंटी श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री धर्मवीर सिंह के स्थान पर उनके पुत्र श्री विपिन कुमार का नाम दर्ज कर लिया जायेगा। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

प्रभारी सम्पत्ति,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

प्रतिपत्रक

प्रतिपत्रक :-

दिनांक :

श्री अशाक कुमार पुत्र स्व० श्री धर्मवीर सिंह निवासी-कै०एम० 27 कविनगर गाजियाबाद को उनके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 27/10/2018 के क्रम में सूचनार्थ प्राप्त।

प्रभारी सम्पत्ति,

संजीव कौशिक
अध्यक्ष
दस्तावेज लेखक एसोसिएशन (रजि०)

589

Name: Akanksha Singh
Designation: Executive
Signature: [Signature]
Stamp: [Stamp]
112/3, Block 1, Sector 10, Ghaziabad



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

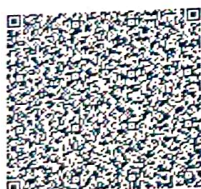
First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP06964666156956R
: 03-Dec-2019 12:10 PM
: SHCIL (FI)/ upshcil01/ GHAZIABAD/ UP-GZB
: SUBIN-UPUPSHCIL0108282896355184R
: VIPIN KUMAR SON OF LATE SHRI DHARM VEER SINGH
: Article 40 Mortgage Deed
: SD-465 SHASTRI NAGAR GHAZIABAD
: VIPIN KUMAR SON OF LATE SHRI DHARM VEER SINGH
: UCO BANK
: VIPIN KUMAR SON OF LATE SHRI DHARM VEER SINGH
: 1,80,000
: (One Lakh Eighty Thousand only)



Verified By

Registration Clerk
Ghaziabad

Locked By

Sub Registrar-V
Ghaziabad

Please write or type below this line-----

Vipin Kumar



SR 0005951886

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

OFFICE OF THE TREASURY
GHAZIABAD

रु
11 DEC 2015
10000

Chief Treasury Officer



सत्यमेव जयते
INDIA

Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

489778

(2)

MORTGAGE DEED

Whereas I **Vipin Kumar S/o late Sri Dharm Veer Singh** Aged about 62 years old R/o KM-6, Kavi Nagar Ghaziabad. Having are sidental property at SD-465 Shastri Nagar Ghaziabad, I desirous to obtain a sum of Rs. 90 lacs (Rupees ninty lacs) as financial assistance from UCO Bank branch Nehru Place, New Delhi.

And whereas, the aforesaid bank is willing to provide me the above amount as financial assistance for the purpose of **business activities**.

Vipin Kumar



11 DEC 2015
Office of The Treasury
Ghaziabad
Cashier
SHDE# 4-201900739112170

श्री विपिन कुमार व श्री धारनवीर सिंह
बंधक पत्र (बिना कब्जा)
वर्ष: 2015-12-15

रजिस्ट्रेशन स०: 5891

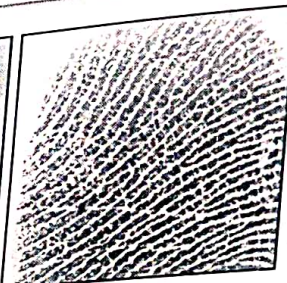
रजिस्ट्रेशन स०: 5891

बही स०: 1

प्रतिफल- 90000000 स्टाम्प शुल्क- 225000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 20060

श्री विपिन कुमार,
पुत्र श्री स्व० धर्मवीर सिंह
व्यवसाय: अन्य
निवासी: के एम-6, कविनगर, गाजियाबाद

Vipin Kumar



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 03/12/2019 एवं 04:40:36 PM बजे
निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दयानन्द प्रभारी
उप निबंधक : सदर पंचम
गाजियाबाद
03/12/2019

गाजियाबाद सदर पंचम लिपिक
निबंधक लिपिक



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

OFFICE OF THE TREASURY
GHAZIA
रु.
10000

Chief Treasury Officer



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

489777

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

I am therefore, making the declaration under section _____ of the
U.P. _____ Act and bind myself as well as my legal heirs
and legal representatives by the following conditions, namely ;

1. That I am the owner of the immovable property specified below.
2. That I shall create a charge on the said immovable property in the revenue records in favor of the above said bank for securing financial assistances of such bank.

Vipin Kumar



201900739112170

Sr. No.

Rs.

Add. in Stamp No.

11 DEC 2015

Office of The Treasury
Ghaziabad

रजिस्ट्रेशन स०: 5891

वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

बंधकी: 1

श्री यूको बैंक के द्वारा दिवेश कुमार, पुत्र श्री देवेन्त कुमार
निवासी: 27/1ए, सिद्धार्थ गली नं०-10, विश्वास नगर,
दिल्ली-32

व्यवसाय: अन्य

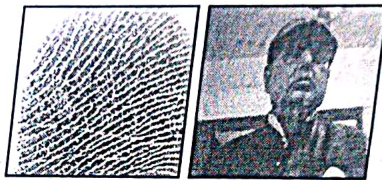
बंधक कर्ता: 1



श्री विपिन कुमार, पुत्र श्री स्व० धर्मवीर सिंह

निवासी: के एम-6, कविनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

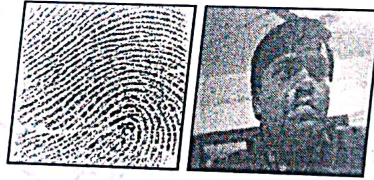


ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री हुक्म सिंह, पुत्र श्री बलजीत सिंह

निवासी: सैन विहार, इन्डाहैडा जिला गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

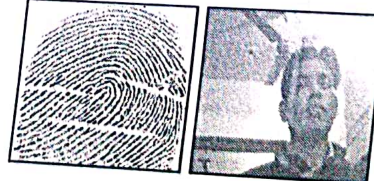


पहचानकर्ता : 2

श्री अजय कुमार, पुत्र श्री विनोद कुमार

निवासी: कैलाश नगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

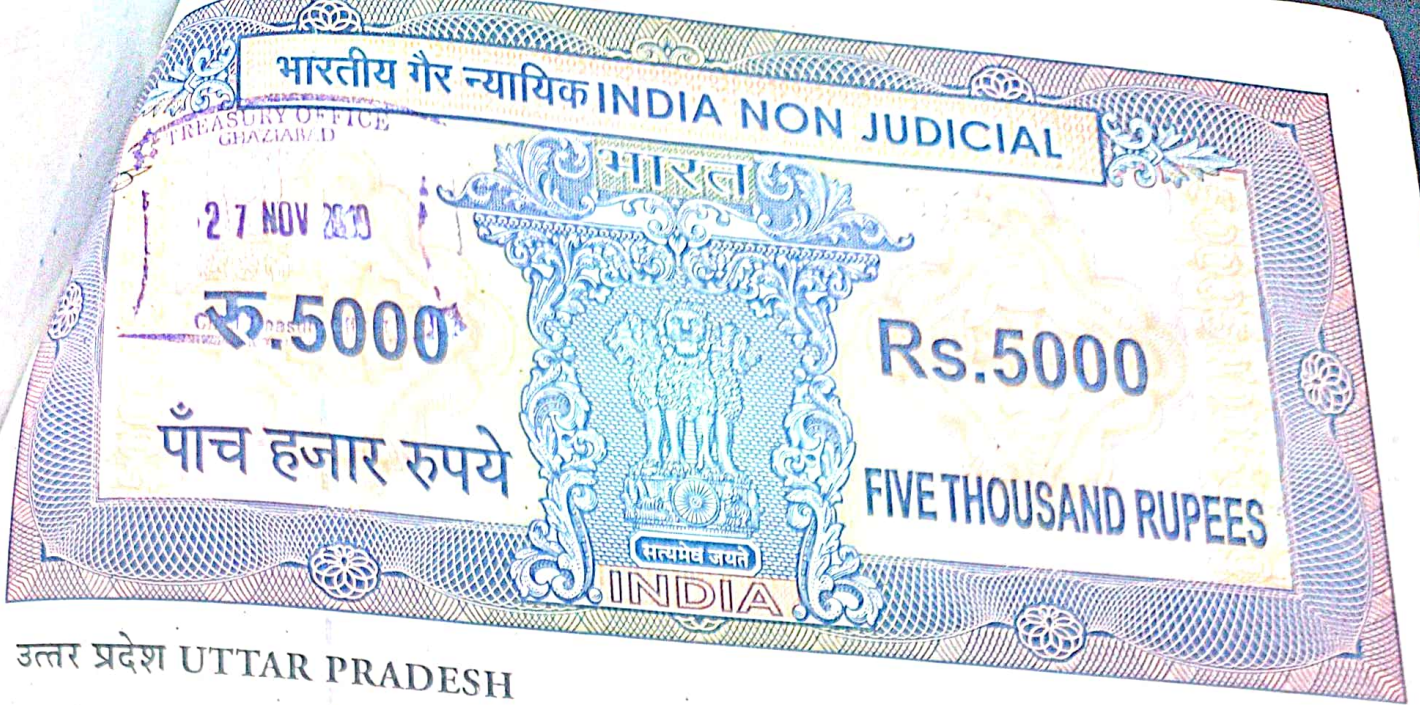


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

दयानन्द प्रभारी
उप निबंधक : सदर पंचम
गाजियाबाद

गाजियाबाद सदर पंचम लिपिक
निबंधक लिपिक



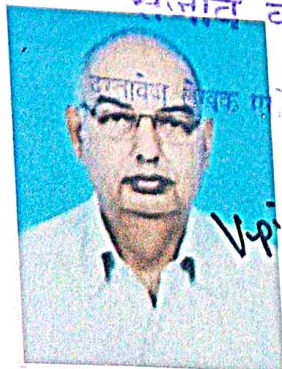
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

UC 487558 DC 487566

3. That I shall repay the amount of financial assistances to the bank together with the interest at UCO Float rate + 2.30% that is presently 10.35% P.A. with monthly rest as per the extant guidelines of Bank/ RBI.
4. That if I fail to make payment in the manner stated above the property charged may be proceeded against me and I shall be liable for the costs as well as other charges and expenses of the bank and for the cost if any, that the bank may have to incur for recovering the same.

Vipin Kumar



संजीव कौशिक

संजीव कौशिक एग्रीगेशन (प्रा.)

Vipin Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 487567 DC 487567

(5)

5. That I will spend and utilize the amount of financial assistances only for the purpose hereinabove mention and if I miss use the financial assistances, the bank shall be at liberty to recover the loan amount together with interest.
6. That the contents of this declaration are true and correct in the best of my knowledge and nothing has been concealed therefore. Description of the land or interest therein or the immovable property charged in favor of the bank.

Vipin Kumar



कोशिक

कोशिक (रजि०)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 490001

DC 490001

7. Description of the land or interest there in charged in favor of the bank.

Place	Name	Khasra no.	Khatauni no.	Area (h)	Rent (Rs)	Share	Total Area
SD-465 Shastri Nagar Ghaziabad	Vipin Kumar	----	-----	139.45 SQM	---	100 %	139.45 SQM

Total land ...139.45 SQM

Vipin Kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 487568 DC 487568

(8)

Returned with compliances to the branch UCO bank, Nehru Place, New Delhi

The charge created under declaration has recorded in the record with this office.

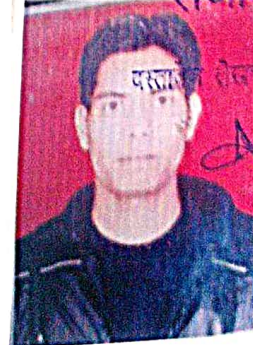
Vipin Kumar



SUB- REGISTRAR



कौशिक
अध्यक्ष
एसीएस (रजि०)



संजीव कौशिक
अध्यक्ष
एसीएस (रजि०)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 490002

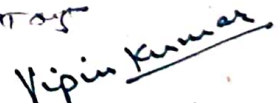
DC 490002

(7)

In witness where of, I Vipin Kumar S/o late Sri Dharm Veer Singh here under set my hand this Deed on 3rd day of December in the year 2019.

Witness

1. 
हमक सिंह S/O राजेश सिंह
पुंन सिंह कुशदेव रावत
2. 
सुखदेव कुमार S/O
पुंन सिंह कुशदेव रावत


(Signature of declarant)

Forwarded with compliments of the sub registrar/ Tehsildar with a request to record the particulars of the charges created under the declaration in his office.

MANAGER

UCO Bank



Dated:-

03-12-2019

संजीव कौशिक

सहायक सहायक (मि०)
3/12/19

-2 DEC 2019

क्रमांक सं०..... 74 रजाम्प विक्रय की दिनांक.....
रजाम्प क्रय कर-188 परीक्षण.....

रजाम्प क्रय का नाम.....

रजाम्प की पंजीकरण.....

रजाम्प की नवीनीकरण की अवधि 31-3

अधिकृत विक्रय करने स्थान चौबट नं० 24

उहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद

₹5000-

आवेदन सं०: 201900739112170

वही संख्या 1 जिल्द संख्या 8024 के पृष्ठ 77 से 96 तक क्रमांक
5891 पर दिनांक 03/12/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दयानन्द प्रभारी

उप निबंधक : सदर पंचम

गाजियाबाद

03/12/2019

